108

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 339–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.04.2014 पारित द्वारा कमिश्नर सागर संभाग, सागर निगरानी प्रकरण क्रमांक 280/अ–19 वर्ष 2013–14

कुन्जी पुत्र लवरा गौड़
निवासी ग्राम जसवंत पुरा तहसील अमानगंज
पुरानी तहसील गुनौर जिला पन्ना (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

..... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता आवेदकगण
श्री राजीव गौतम अधिवक्ता अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 9 –02–2017 को पारित)

यह निगरानी कमिश्नर सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 280/अ–19 वर्ष 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 के विरूद्ध म. प्र. भू. राजस्व सहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जसवंतपुरा तहसील गुनौर में स्थित आराजी क्र. 530 रकवा 1.75 है0 भूमि का नायब तहसीलदार अमानगंज ने राजस्व प्रकरण क्रमांक 01अ/19(1) वर्ष 2001–02 में आदेश दिनांक

20.04.02 के द्वारा भूमिहीनों को बंटन किया गया। उक्त आदेश के लगभग 7–8 वर्ष पश्चात एक शिकायती आवेदन पेश होने पर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 30/08–09 दर्ज कर आदेश दिनांक 25.05.09 द्वारा आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों को किये गये बंटन आदेश निरस्त कर वाद भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जिस पर कमिश्नर सागर ने अपने आदेश दिनांक 29.4.2014 द्वारा निरस्त कीगई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति है उसके द्वारा काफी परिश्रम एवं धन व्यय कर उसने ऊबड़ खाबड भूमि को समतल करके भूमि को कृषि योग्य बनाया है। नायब तहसीलदार अमानगंज ने राजस्व प्र.कं. 01अ/19(1) वर्ष 2001–02 दर्ज कर एक ही प्रकरण में भिन्न भिन्न आवेदक सहित चार व्यक्तियों को पृथक पृथक सर्वे नं. के अपने आदेश दिनांक 20.04.02 द्वारा भूमिहीन होने के आधार पर पट्टे जारी किये थे। आवेदक को आराजी नं. 530 रकवा 1.75 है0 का पटटा दिया गया था जिस पर वह पट्टा प्राप्त होने के पूर्व से ही काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है।

यह तर्क भी दिया गया कि द्वेष भावना से किसी व्यक्ति द्वारा आवेदक के विरूद्ध शिकायत करने पर अपर कलेक्टर ने आवेदक एवं अन्य दो व्यक्तियों को जारी पट्टे निरस्त करने में भूल की है। जिन आधारों पर आवेदक के विरूद्ध शिकायत की थी वह प्रमाणित नहीं थी आवेदक को जिस दिनांक को बाद भूमि का बंटन किया था उस दिनांक को न तो उसके पिता के नाम भूमि थी न ही

आवेदक के पास भूमि थी आवेदक भूमिहीन कृषि श्रमिक है उसे बंटन में भूमि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिकायतकर्ता का वाद भूमि पर कोई हित नहीं है न तो उसका कभी कब्जा रहा न ही उसने अपने पक्ष में बंटन कराने बावत कोई आवेदन दिया मात्र द्वेष भावना से उसके द्वारा कार्यवाही की गई थी।

यह भी तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर ने बंटन आदेश के लगभग 7–8 वर्ष पश्चात शिकायती आवेदन पर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदक के पक्ष में दिए गए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 एवं आई. एल.आर. (2011) म.प्र. 1 का हवाला दिया गया है।

यह भी तर्क दिया गया कि अपर कलेक्टर ने प्रकरण कमांक 30 स्वमेव निगरानी वर्ष 2008–09 में आवेदक एवं अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सूचना जारी की थी लेकिन उनके द्वारा विधिवत जांच व सुनवाई न कर मनमाने तरीके से सभी व्यक्तियों के पट्टे निरस्त करने का आदेश पारित किया था। आवेदक ने कमिश्नर सागर के समक्ष निगरानी पेश कर अपर कलेक्टर क आदेश की अनियमितता के संबंध में उक्त सभी बिन्दु उठाये थे लेकिन उनके द्वारा भी उक्त बिन्दुओं पर विचार किये बिना आवेदक की निगरानी निरस्त कर दी । इस प्रकार अपर कलेक्टर व कमिश्नर सागर द्वारा पारित आदेश विधिवत एवं उचित नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने एंव अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अधीनस्थ पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा अपने आदेश में

विधिवत विचार करने के पश्चात तहसील न्यायालय के व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है। अतः ऐसा आदेश विधिवत एवं उचित है ऐसी स्थिति में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एंव सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदक को दिनांक 20.04.02 से प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसे अपर कलेक्टर ने 7–8 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि सम्मत नहीं है। आवेदक की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में 7–8 वर्ष की अवधि युक्तियुक्त अवधि नहीं मानी जा सकती। न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. वीकली नोट्स 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हतु युक्तियुक्त अवधि नही माना गया है। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत आई.एल.आर. (2011) एम.पी.1 में माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. की पूर्ण पीठ द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों के अनेक न्याय दृष्टांतों का संदर्भ देते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

"भू–राजस्व संहिता म.प्र. (1959 का 20) धारा–50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता, अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल सम्पत्ति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।"

यदि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो स्थिति यह बनती है कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की

कार्यवाही युक्तियुक्त अवधि में नहीं की गई है। न्याय दृष्टांत 2009 आर.एन. 251 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो जाये तब विलंब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलंब 01 वर्ष भी अयुक्ति युक्त है तथा धारा 50 भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गल्तियां की गंई, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर व कमिश्नर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कमिश्नर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2014 निरस्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्र.क्रं. 30/08–09 स्व. निग. में आवेदक के सर्वे नं. 530 रकवा 1.75 है0 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 25.5.09 निरस्त किए जाते हैं एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक के हित में ग्राम जसवंतपुरा तहसील अमानगंज पूर्व तहसील गुनौर जिला पन्ना में प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 530 रकवा 1.75 है0 भूमि का किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 20.04.02 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार अमानगंज को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के पालन में राजस्व अभिलेख में से आवेदक का नाम काटा जाकर म.प्र. शासन दर्ज कर दिया है तो उसे पुनः पूर्ववत आवेदक के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर